OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE KANGRA AT DHARAMSHALA

No. 901 **SK/DM** **Dated** 05/**September/2022**

ADVISORY

WHEREAS, 15712 cases of Lumpy Skin Disease have been reported in District Kangra till date out of which 472 cattle has been died and the number is increasing with every passing day;

WHEREAS, there are around 4 lakh cattle's in District Kangra and considering the current situation all of them are highly vulnerable to Lumpy Skin Disease;

WHEREAS, I am of the view that there is a dire need to take immediate steps to mitigate the spread of Lumpy Skin Disease in order to save the lives of cattle and livelihood of locals;

THEREFORE, I, Dr. Nipun Jindal, IAS, District Magistrate, Kangra at Dharamshala in order to safeguard the lives of cattle and livelihood of cattle breeders and in the interest and welfare of the public at large, do hereby issue a advisory as under:-

1. No person, organization or institution shall hold any animal market, animal fair, animal exhibition and carry on any other activity which involves grouping or gathering of cows and bullocks within the boundaries of District Kangra.
2. All cattle breeders in the District Kangra whose cattle are known to be infected with Lumpy Skin Disease, shall ensure quarantine of all of his cattle and shall not bring or attempt to bring such infected animals into market / in open / public place.
3. Deputy Director Animal Husbandry shall ensure vaccination of cattle in Gausadans including the stray cattle in order to restrict the spread of Lumpy Skin Disease.
4. Deputy Director Animal Husbandry in coordination with District Public Relation Officer shall ensure maximum awareness of Do's and Don'ts for the Lumpy Skin Disease through pamphlets, posters, community radio, press releases, social media and local print and electronic media.
5. All PRIs shall keep check on the mass movement of cattle under their area of jurisdiction and report such cases to the nearest Animal Husbandry Office.
6. Animal Husbandry Department shall share daily reports regarding Lumpy Skin Disease with District Disaster Management Authority before 02:00 P.M every day.

ISSUED under my hand and seal of the office on this 03th Day of September, 2022

3/9/22

Dr. Nipun Jindal, IAS,
Chairman DDMA-cum-District Magistrate,
District Kangra at Dharamshala.

Scanned with CamScanner

OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE KANGRA AT DHARAMSHALA

Endst. No. As above **Dated 03rd September, 2022**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. Deputy Director Animal Husbandry, kangra
2. All Sub Divisional Magistrates, Kangra
3. District Public Relation Officer, Kangra
4. All Block Development Officers, Kangra
5. All concerned officer and official of Centre and State Government working within the boundaries of District Kangra

3/9/22

Chairman DDMA-cum-District Magistrate,
District Kangra at Dharamshala.

Scanned with CamScanner

थनों में सूजन, फफोले व छाले

आप अपने गोवंश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं ?

4 माह से ऊपर सभी गोवंश को निशुल्क रोग-रोधक टीकाकरण लगवाएं। टीकाकरण के माध्यम से - प्रभावी टीके तीन सप्ताह के भीतर पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं।

झुंड के संक्रमित होने से पहले गोवंश को टीका लगाया जाना चाहिए।

टीकाकरण के बाद मामूली प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं -

- टीकाकरण स्थल पर सूजन, जो हानिकारक नहीं है और 1-2 सप्ताह के भीतर गायब हो जाती है।
- दूध उत्पादन में मामूली कमी से जुड़ा अल्पकालिक बुखार।
- *कुछ टीके शायद ही कभी शरीर या थन में छोटे पिंड पैदा कर सकते हैं जो जल्द ही गायब हो जाते हैं।*
- विश्वसनीय स्रोतों से ही स्टॉक खरीदें। नए जानवरों की आवाजाही से पहले और आगमन पर जांच की जानी चाहिए, और 28 दिनों के लिए संगरोध (यानी झुंड से अलग) में रखा जाना चाहिए। क्षेत्र में प्रकोप के दौरान, अपने झुंड में नए जानवरों को शामिल न करें।
- एक अच्छे कीटनाशक स्प्रे, छिड़काव या स्पॉट-ऑन उत्पादों का उपयोग नियमित रूप से करें।
- खेत को खड़े पानी और गोबर जैसे कीड़ों के प्रजनन स्थलों से मुक्त रखें।
- फार्म आगंतुकों को आवश्यक सेवाओं तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। सभी आगंतुक वाहनों, उपकरणों और जूतों को संपत्ति में प्रवेश करने से पहले साफ किया जाना चाहिए या जूते के कवर का उपयोग किया जाना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान से सम्पर्क करें :

जारीकर्त्ता :-
पशु पालन विभाग हिमाचल प्रदेश, पशुधन भवन, शिमला-5,
ई-मेल : dd-epld-hp@nic.in

सम्पर्क सूचना :
(पशु पालन विभाग हिमाचल प्रदेश)
जिला :
फोन :
ई-मेल :

लम्पी चमड़ी रोग

पशु पालकों के लिए जानकारी पत्र

Scanned with CamScanner

लम्पी चमड़ी रोग

- केवल गोवंश और भैंस को प्रभावित करता है ।
- मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता ।
- इस बीमारी का प्रकोप सबसे अधिक गर्म महीनों और बरसात के दौरान जब कीट सबसे अधिक सक्रिय और प्रचुर मात्रा में होते हैं ।
- पशु को तेज बुखार, त्वचा में सूजन मोटी-मोटी गांठें, आहार खाने में परेशानी, कमजोरी व दूध उत्पादन में कमी ।
- प्रजनन समस्याओं, गर्भपात, क्षतिग्रस्त खाल और खाल, वजन में कमी, और कभी-कभी मृत्यु भी हो सकती है ।

लम्पी चमड़ी रोग से ग्रसित पशु

आपके जानवर कैसे संक्रमित हो सकते हैं ?

- प्रभावित क्षेत्रों से संक्रमित मवेशियों को लाकर ।
- ज्यादातर मक्खियों-मच्छरों या चिचड़/चिड़न जैसे कीड़ों के काटने से ।
- साझा पीने के कुंड या चारागाह जहाँ ग्रसित पशु एकत्रित होते हों ।
- ग्रसित पश के सीधे संपर्क के माध्यम से भी संभव है ।

लम्पी चमड़ी रोग के लक्षण क्या हैं ?

संक्रमित जानवर में निम्न लक्षण दिखाते है -

- तेज बुखार, भूख न लगना और दूध उत्पादन में गिरावट ।
- त्वचा में सूजन व मोटी-मोटी गांठें, (गांठ (आमतौर पर पहली बार सिर और गर्दन में देखा गया है)।
- गांठों की संख्या (हल्के मामलों) में कुछ कम से लेकर (गंभीर मामलों) में पूरे शरीर पर हो जाती हैं ।
- गांठें समय के साथ गायब हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर घावों का केंद्र धीमा (स्कैब) हो जाता है, जिससे कीडों को आकर्षित करने वाले गहरे अल्सर निकल जाते हैं ।
- थनों, होंठ और मुंह और नाक के अंदर अल्सर ।
- आंख और नाक से स्राव और अत्याधिक लार आना ।
- लसीका ग्रंथियां सूज जाती हैं ।
- सावधान रहें कि कुछ संक्रमित जानवर कोई नैदानिक लक्षण नहीं दिखा सकते हैं ।

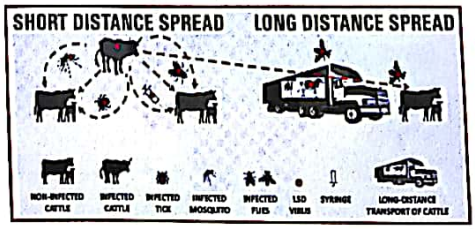

लम्पी चमड़ी रोग के प्रसार का योजनाबद्ध चित्रण

उपचार

इस रोग के खिलाफ कोई प्रभावी उपचार नहीं है, हालांकि, -पारम्परिक पद्दति द्वारा कुछ औषधिओं का उपयोग कर सकते हैं । जानकारी प्रपत्र नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान से ले सकतें हैं ।

पपड़ी, अल्सर और निशान के साथ त्वचा के घाव

अपने मवेशियों की निगरानी करें और संदिग्ध मामलों को सूचित करें -

- प्रकोपों के दौरान या जोखिम वाले क्षेत्रों में, मवेशियों की प्रतिदिन निगरानी की जानी चाहिए ।
- अपने स्थानीय पशु चिकित्सक या आधिकारिक पशु चिकित्सा सेवाओं (टेलीफोन- 0177-2650938) को तुरंत किसी भी संदेह की सूचना दें जो बीमारी के और प्रसार को रोकने के लिए कार्यवाई शुरू करेंगे ।
- लम्पी चमड़ी रोग (एलएसडी) की आशंका होने पर मवेशियों की आवाजाही तुरंत रोक देनी चाहिए ।

Scanned with CamScanner